प्रकाशनार्थ

पटना, 07 नवम्बर ।

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र के मेहथ ढाला से नवटोली तक पथ निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआबजा भुगतान के लिये राज्य सरकार ने 1 करोड़ 65 लाख 74 हजार रूपये की स्वीकृति दी है ।

झंझारपुर विधायक–सह–ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा ने अपने पत्रांक– 473 दिनांक– 24.06.2014 द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग को इस संबंध में पत्र लिखकर शीघ्र राशि आवंटित करने का सुझाव दिया था । पत्र में उन्होने लिखा था कि, झंझारपुर प्रखंड के एस0एच0– 52 मेहथ ढाला से एन0एच0–57 नवटोली तक पथ निर्माण के लिए भू–अर्जन हेतु आवंटित राशि से भू–अर्जन की कारंवाई पूर्ण नहीं हो सकी है । जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नये नियमों के तहत लगभग 1 करोड़ 65 लाख 73 हजार रूपयों की आवश्यकता प्रतिवेदित की गई है । पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अल्प राशि ही आवंटित हुई थी ।

पत्र में श्री मिश्रा द्वारा उद्धृत किया गया था कि, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी ने अपने पत्रांक– 888 दिनांक– 21.06.2014 द्वारा भी आवंटन का अनुरोध किया है ।

उल्लेख्य है कि, उक्त महत्वपूर्ण सड़क हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं होने के कारण सड़क का निर्माण व्यवधानित था और लम्बी अवधि से भू–धारियों द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी ।

सम्यक विचारोपरांत पथ निर्माण विभाग ने पत्र संख्या– 9921 (एस) दिनांक– 15.10.2014 द्वारा इस मद में 01 करोड़ 65 लाख 74 हजार रूपयों की स्वीकृति दी है । इस कार्य का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मधुबनी द्वारा कराया जायगा । इस सड़क के निर्माण के पश्चात एस0एच0–52 प्रत्यक्ष रूप से एन0एच0–57 से जुड़ जाएगा । 11 करोड़ 72 लाख रूपये की लागत से निर्माणाधीन इस सड़क का निर्माण इरकॉन द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है ।

काफी लम्बी अवधि से मुआवजा की मांग कर रहे किसानों को भुगतान हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा राशि स्वीकृत किए जाने पर झंझारपुर विधायक, –सह– ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नीतीश मिश्रा ने प्रसन्नता व्यक्त की है । उन्होने कहा कि, अब किसानों को भुगतान एवं सड़क का निर्माण शीघ्र संभव हो सकेगा ।